



पत्रांक / Ref. कु0स0 / यू0नि0 दि0दि0 2011

Date/दिनांक : अक्टूबर , 2011

अल्पकालिक निविदा सूचना

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में वर्ष 2011-12 में होने वाले सिविल, सेनेटरी एवं विद्युत कार्य से सम्बन्धित अनुरक्षण एवं लघु निर्माण कार्य एवं विद्युत सामग्री की आपूर्ति के वार्षिक दर अनुबन्ध एवं निम्नलिखित कार्य हेतु शासकीय/अर्धशासकीय विभागों में पंजीकृत एवं अनुभवी ठीकेदारों/ख्यातिलब्ध ठीकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से निम्नानुसार निविदाएं/आवेदन पत्र/भागीदारी आमंत्रित की जाती है।

क0सं0	विवरण	अनुमानित लागत	नि0प्र0 विक्रय की तिथि	घरोहर धनराशि	निविदा मूल्य	नि0प्र0 जमा करने की तिथि	अनुबन्ध की अवधि
1.	सिविल सेनेटरी अनुरक्षण कार्य (वार्षिक दर अनुबन्ध)	आवश्यकतानुसार	4.10.11से 23.10.11	रु0 10000.00	रु0 200.00	31.10.11	2011-12
2.	विद्युत कार्य (वार्षिक दर अनुबन्ध)	..	4.10.11से 23.10.11	रु0 5000.00	रु0 200.00
3.	विद्युत सामग्री आपूर्ति (वार्षिक दर अनुबन्ध)	..	4.10.11से 23.10.11	रु0 2500.00	रु0 200.00
4.	ठीकेदारों का पंजीकरण	-	10.10.11से23.10.11	सिवि0-सिने0का0 हेतु रु010000.00 विद्यु0का0 हेतु रु0 5000.00	रु0 200.00	31.10.11	2011-14
5.	आवासों में पानी टंकी लगाने का कार्य	रु0 756000.00	4.10.11से 23.10.11	रु0 15000.00	रु0 200.00
6.	अग्निशमन उपकरणों की आपूर्ति	-	4.10.11से 23.10.11	रु0 20000.00	रु0 200.00
7.	निष्प्रयोज्य वृक्षों की नीलामी	-	19.10.11 अपरान्ह 12:30	रु0 10000.00	-	-	-

1. निविदा प्रपत्र मूल्य की नकद जमा रसीद एवं पंजीकरण तथा अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुए कैशियर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से उपरिलिखित दिनांक तक किसी भी कार्यदिवस की कार्यावधि में निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है।
2. निविदा प्रपत्र के मूल्य के बैंक ड्राफ्ट/ नगद रसीद एवं अनुभव प्रमाण-पत्र के अभाव में निविदा प्रपत्र देना सम्भव नहीं होगा।
3. निविदा की फाइनेन्सियल विड साथ संलग्न छोटे लिफाफे में रखकर सील कर दें, तत्पश्चात छोटे लिफाफे को आवश्यक प्रपत्रों के साथ संलग्न करते हुए बड़े लिफाफे में रखकर सील कर दें, निविदा आवश्यक प्रपत्रों

तथा जमानत राशि जो वित्त अधिकारी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के पक्ष में बन्धक फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में हो, के साथ रजिस्टर्ड पोस्ट/ स्पीडपोस्ट द्वारा इस प्रकार प्रेषित किया जाए कि कुलपति, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को निर्धारित अन्तिम तिथि तक अवश्य प्राप्त हो जाए। डाक द्वारा प्रेषित निविदाओं के खो जाने अथवा विलम्ब से प्राप्त की दशा में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

4. निविदा के साथ आयकर चुकौती, व्यापार कर चुकौती एवं चरित्र प्रमाण-पत्र तथा सरकारी/ अर्द्धसरकारी संस्थाओं में " सी " श्रेणी में पंजीकृत का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। विद्यापीठ में कार्यरत ठीकेदारों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र देना आवश्यक नहीं है।
5. निविदा विश्वविद्यालय के सक्षम समिति के समक्ष 2-नवम्बर 2011 को अपरान्ह 3:00 बजे वित्त अधिकारी के कक्ष में खोली जाएगी एवं निविदा समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
6. किसी भी औपचारिकता के अभाव में निविदा निरस्त की जा सकती है।
7. अनुबन्ध हेतु स्टाम्प पेपर ठीकेदार को उपलब्ध कराना होगा।
8. न्यूनतम दर की निविदा के कार्य एक या एक से अधिक ठीकेदारों में विभक्त करने का अधिकार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पास सुरक्षित है।
9. निविदा या कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यस्थल, कार्य की प्रकृति एवं निविदा की सामान्य शर्तों के बारे में किसी भी कार्यदिवस की कार्यावधि में अभियन्त्रण विभाग से सम्पर्क कर समझा जा सकता है।
10. निविदा सूचना सहित बिल आफ क्वान्टिटी के प्रत्येक पृष्ठ पर ठीकेदार को हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा। दरों का अंकन अंको एवं शब्दों में साफ अक्षरों में किया जाएगा। धरोहर धनराशि प्रत्येक कार्यों हेतु पृथक जमा करना आवश्यक होगा।
11. कार्य अनुरक्षण की प्रकृति का है अतः कार्य की मात्रा अथवा विशिष्टियों में किसी भी अनुपात में परिवर्तन हो सकता है, extra item हेतु उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल दर पर अथवा प्रचलित बाजार दर पर भुगतान किया जाएगा।
12. निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर कार्य प्रारम्भ करना होगा एवं समय से कार्य पूर्ण न होने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
13. बिना किसी कारण बताए किसी अथवा सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पास सुरक्षित है।
14. कार्य सामान्यतया अनुरक्षण एवं लघु निर्माण की प्रकृति के होंगे एवं अनुरक्षण कार्य मूल्य ₹0 2500.00 से लेकर ₹0 2,00,000.00 के मध्य होने की सम्भावना है, लघु निर्माण का कार्य रूप 5,00,000.00 मूल्य से अधिक होने पर कार्यों हेतु पृथक से निविदा करायी जा सकती है।
15. सिविल ठीकेदारों का पंजीयन D श्रेणी अथवा C श्रेणी में किया जाएगा। विद्युत ठीकेदारों का एकीकृत पंजीकरण किया जाएगा जिन्हे सामान्यतया अधिकतम B श्रेणी तक के कार्य करने की अनुमति होगी।
16. बृक्षों की नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यवसायी विश्वविद्यालय के सम्पत्ति विभाग से सम्पर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृत मूल्य का 50 % तत्काल जमा करना होगा एवं शेष 50 % अगले कार्य दिवस में जमा करते हुए एक सप्ताह के अन्दर बृक्षों को हटाना होगा।

1
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रभारी कम्प्यूटर सेन्टर को इस आशय से प्रेषित कि इस सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करे।

कुलसचिव

23